1/2

अपील क्रमांक 219/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 219/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार), सड़क नं.–1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001 मो. 7580999009 email id : amantravelsdurg@gmail.com	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 02.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार) द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250203000309 दिनांक 11.04.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 02.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "आपके अधीनस्थ समस्त जल संसाधन संभाग के द्वारा अपने संभाग में चल रहे समस्त निर्माण कार्यो के भौतिक स्थिति व आय–व्यय (मासिक लेखा) की जानकारी प्रति माह SE कार्यालय को भेजी जाती है, तदोपरांत वह रिपोट को एकजई कर CE एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजी जाती है। उस जानकारी का प्रमाणित प्रति" उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250203000309 दिनांक 03.02.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधंन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250203000309 दिनांक 11.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी/ में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

......2

3. सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि "मेरे द्वारा चाही गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में संधारित होने के बावजूद जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी दिए जाने से आनाकानी करते हुए यह कहा गया है कि समस्त जल संसाधन संभाग में आवेदन कर जानकारी प्राप्त किया जाए। मेरा प्रथम अपीलीय अधिकारी से निवेदन है कि वे जनसूचना अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि प्रमुख अभियंता जल संसाधन कार्यालय में निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले मेरे द्वारा कुछ वर्ष पूर्व जानकारी प्राप्त की गई थी, जिस पर मुझे प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ स्तर पर संभागों के द्वारा कराए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तथा मासिक रिपोर्ट प्रदान की गई थी बावजूद उसके जनसूचना अधिकारी के द्वारा मुझे जानकारी दिए जाने में आना–कानी किया जाना समझ से परे है"। जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित थे। उन्होंने उनके पत्र क्रमांक 4112275/41/छ.ग./2025/3609, दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250203000309 दिनांक 03.02.2025 जनसूचना प्रकोष्ठ को दिनांक 03.02.2025 प्राप्त हुआ। जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 05.02.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि तकनीकी कक्ष में समस्त निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति एवं आय व्यय (मासिक लेखा) की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अतः पुनः नस्ती बजट कक्ष में दिनांक 06.02.2025 को प्रस्तुत की गई, जो इस कक्ष को दिनांक 10.02.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि चाही गयी जानकारी इस कार्यालय के अधीन समस्त संभाग के अंतर्गत संधारित की जाती है। अतः वांछित जानकारी हेतु संबंधित संभागीय कार्यालय को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उक्त अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/41/छ.ग. /2025/1998, दिनांक 03.03.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. जनसूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत आनलाइन आवेदन का निराकरण दिनांक 03.03.2025 को अर्थात् 29 दिनों में किया जो कि अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के अंतर्गत है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि जनसूचना अधिकारी को बजट कक्ष से दिनांक 10.02.2025 को पृथक–पृथक जनसूचना अधिकारियों की सूची के साथ टीप प्राप्त हो गयी थी, उसके बावजूद जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को ततसंबंध में सूचित करने में 21 दिनों का समय लिया, जो कि अत्याधिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण किये जाने की अधिकतम समयसीमा 30 दिनों की निर्धारित है, इसका कदापि यह आशय नहीं है कि आवदेन का निराकरण किये जाने हेतु अंतिम तिथि तक इंतजार किया जावे। अतः भविष्य में जनसूचना अधिकारी को अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का न्यायसंगत निराकरण यथाशीघ्र (अधिकतम 30 दिन) किये जाने की सलाह दी जाती है।

......3

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जनवरी 2025 की स्थिति में जानकारी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विभाग के अधीन स्थापित 61 संभागों से संबंधित है। अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध में इस लोक प्राधिकारी के बजट शाखा द्वारा लेख किया गया कि इस विभाग के अधीन समस्त संभागों के अंतर्गत संधारित की जाती है। उल्लेखनीय है कि समस्त संभागों में पृथक–पृथक जनसूचना अधिकारी पदस्थ हैं। इस परिपेक्ष्य में जानकारी हेतु संबंधित संभागीय कार्यालय को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप विधिसम्मत है।

7. प्रकरण का न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट **www.cgwrd**.in का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 की विभागीय बजट पुस्तिका में मार्च 2024 की स्थिति में संभागवार योजनावार भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 की विभागीय बजट पुस्तिका में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन **http://www.cgwrd.in/phocadownload/BUDGET 2025 26.pdf** का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आवेदक द्वारा जनवरी 2025 की स्थिति में भौतिक प्रगति एवं मासिक लेखे की जानकारी मांगी है। फिर भी आवेदक को विभागीय बजट पुस्तिका में विभाग के अंतर्गत चल रहे एवं प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी विस्तृत स्वरूप में मिल जावेगी। आवेदक की सुविधा हेतु विभागीय बजट पुस्तिका 2025–26 की पीडीएफ फाइल उनके मेल में भेजी जावे।

8. **अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर, प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–**

1. उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी हेतु संबंधित संभागों में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट **www.cgwrd.in** पर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 की विभागीय बजट पुस्तिका में मार्च 2024 की स्थिति में संभागवार योजनावार भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 की विभागीय बजट पुस्तिका में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन **http://www.cgwrd.in/phocadownload/BUDGET 2025 26.pdf** का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आवेदक द्वारा जनवरी 2025 की स्थिति में कार्यों के भौतिक प्रगति

......4

एवं मासिक लेखे की जानकारी मांगी है। फिर भी आवेदक को विभागीय बजट पुस्तिका में विभाग के अंतर्गत चल रहे एवं प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी विस्तृत स्वरूप में मिल जावेगी। आवेदक की सुविधा हेतु विभागीय बजट पुस्तिका 2025–26 की पीडीएफ फाइल उनके मेल में भेजी जावे।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ

पृ.क्रं./219/बो.प्र./नि.स./2025/4035 **नवा रायपुर, दिनांक** 05**/5/2025**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार), सड़क नं.–1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001 मोबाईल न. – 7580999009, email id : amantravelsdurg@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)